ग्राम पंचायत जाच्छ, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-**

ग्या रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत, जाच्छ विकास खण्ड नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मदन लाल	23-01-11 से 22-01-16
2	श्री बलदेव पप्पी	23-01-16 से अद्यतन

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राजिन्द्र सिंह	12-12-2008 से अद्यतन

{ ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹ लाखों में}
1.	7	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करने बारे	1.27
2.	7.1	अनुदानों का ऋणात्मक शेष बारे	0.56
3.	9	औपचारिकता के बिना खरीद करने बारे	2.29
4.	11	निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण न करना	2.29

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत जाच्छ, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण , जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है , श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 30-12-2016 से 04-01-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय जाच्छ में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 04 /13, 01/15 व 08/15 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 01/14, 02/15 व 06/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क**:-

ग्राम पंचायत जाच्छ, विकास खण्ड नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या :07, दिनांक 04 -01-17 द्वारा पंचायत सचिव , जाच्छ से अनुरोध किया गया।

4 **वितीय स्थिति**:-

ग्राम पंचायत जाच्छ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

{1} **स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत जाच्छ के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण:-**

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	130130	66403	196533	37770	158763
2014-15	158763	28695	187458	48729	138729
2015-16	138729	12035	150764	51930	98834

{2}अनुदान:- ग्राम पंचायत जाच्छ के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में भी दिया गया है:-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	386707	2281611	2668318	2229882	438436
2014-15	438436	1428593	1867029	1453048	413981
2015-16	413981	1537998	1951979	2007794	(-)55815

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	**बैंक का नाम**	**खाता खाता सं**	**राशि**
1.	KCCB jassur	20032005264	3818
2.	KCCB jassur	20032006472	37881
		cash in hand	364
		cash in hand	956
		TOTAL	**43019**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष:- ₹ 43019

(ख) दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):- ₹ 43019

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता -क के रूप में जाना जायेगा । इसी तरह, नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ वहियाँ ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख - रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता -क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5.1 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract)को तैयार न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

6 बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्धारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्धारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा द्धारा अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्धारा किया गया व्यय अनियमित था। अत: उक्त अवधि के बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 गृह-कर के रूप में वसूली ₹110 कम जमा करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान आय की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार

गृह-कर के रूप में वसूली ₹110 को जमा नहीं किया गया था। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति जताने पर सचिव द्वारा उक्त कम जमा राशि को रसीद संख्या :-0480032 दिनांक 31-

12-16 द्वारा अंकेक्षण के दौरान जमा कर दिया गया है जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

दिनांक	**रसीद संख्या**	**वसूली गई राशि**	**जमा की गई राशि**	**कम जमा**
18-04-13	349087 से 349344	27180	27070	₹ 110

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹ 1.27 लाख अधिक व्यय करने बारे:-

पंचायत सचिव , जाच्छ द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान 13वित्त आयोग , 3RD state , व SDP के शीर्ष के अन्तर्गत ₹126606 इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से अधिक खर्च किए गए जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

7.1 अनुदानों का ₹0.56 लाख का ऋणात्मक शेष बारे:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान की कुल प्राप्ति से ₹55815 का अधिक व्यय किया गया। ग्राम पंचायत द्धारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि को व्यय किया जाना था , जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण अनुदानों का ऋणात्मक शेष पाया गया । उक्त अधिक व्यय राशि को स्व स्त्रोत निधि से व्यय किया गया जोकि अनुचित था । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :04 दिनांक 0401-17 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत जाच्छ को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः ₹55815 को उचित स्त्रोत से प्राप्त कर स्व-स्त्रोत निधि में जमा किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

8 निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को उपलब्ध न करवाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में चयनित माह के निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएँ अंकेक्षण में आवयश्क जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए प्राकलन व माप पुस्तिका के अभाव में कार्य की मात्रा, भुगतान की दर व भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । सचिव ग्राम पंचायत द्वारा चर्चा के दौरान अवगत करवाया कि तकनीकी सहायक के हड़ताल पर होने के कारण सम्बन्धित रिकॉर्ड अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सका जोकि अनुचित है। सम्बन्धित रिकॉर्ड को तकनीकी सहायक से लेकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 2.29 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹228900** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :05 दिनांक 04-01-17 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत जाच्छ को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 सीमेंट का खुले बाजार से खरीद करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि 36 सीमेंट के बैग पंचायत द्वारा खुले बाजार से ख़रीदे गए जबकि पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम अनुसार सीमेंट की खरीद नागरिक आपूर्ति निगम से की जानी अपेक्षित थी । अत: सीमेंट की खरीद खुले बाजार से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11 क्रय की गई ₹ 2.29 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹228900 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :05 दिनांक 04-01-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जाच्छ को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली संबन्धित से करके पंचायत निधि में जमा की जाए व कृत अनुपालना से आंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :- 06 दिनांक 04-01-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जाच्छ को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4.	डाक टिकट रजिस्टर
5.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
6.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7.	रसीद बुक रजिस्टर
8.	खाताबही

13 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

14 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।

15 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

16 निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवयश्कता है।

हस्ता / –
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(ii) 83 / 2017–खण्ड–1–2302–2305 दिनाँकः 20.04.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत जाच्छ, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नुरपुर, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नुरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881